उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2– 824 /दस–34(एम)/2008टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त, 2008

संकल्प

विषयः–छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों पर लागू करने के संबंध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति करने के लिए श्री जे0एल0 बजाज, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

(1) श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव, नियोजन–– सदस्य
(2) श्री बी0 एन0 दीक्षित, सचिव, वित्त (वेतन आयोग)–– सदस्य
(3) श्री अजय अग्रवाल,विशेष सचिव,वित्त(वेतन आयोग)–– सदस्य सचिव।

2– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के आधार पर समिति प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति देगी :–

(1) जिन पदों पर पूर्व से केन्द्र सरकार से समकक्षता स्थापित है, उनके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य कराये गये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान।
(2) जिन पदों पर केन्द्र से समकक्षता स्थापित नहीं है, उनके संबंध में केन्द्र में उपलब्ध पदों से समकक्षता पर संस्तुति करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान ।
(3) शेष पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान।

3– समिति के विचार क्षेत्र में निम्न बिन्दु होंगे :–

(1) निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के संबंध में समिति केन्द्र सरकार में वेतनमानों के आधार पर संस्तुति :–
   (क) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी, जिसमें न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा तथा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।
   (ख) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी।
   (ग) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।
   (घ) विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी।
   (ड़) ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते हैं।
(2) जूनियर डाक्टर और कार्य प्रभारित कर्मियों के संबंध में संस्तुति।
(3) समयमान वेतनमान/चयनमान वेतनमान/ए0सी0पी0का पुर्नावलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुतियॉ।

(4) विभिन्न प्रकार के मिल रहे भत्ते एवं सुविधायें।
(5) राज्य कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण एवं पुनरीक्षण ।

4— समिति द्वारा निम्न बिन्दु पर भी संस्तुतियॉ दी जायेंगीः—

(क) छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के संदर्भ में उन सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों के कर्मचारी/ अधिकारी वर्ग जो समता समिति,1988 की परिधि में थे, के वेतनमानों, समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. व्यवस्था, पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में संस्तुति किया जाना।

(ख) ऐसे अन्य विशिष्ट मामले जो शासन द्वारा संदर्भित किये जायें।

5— समिति उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी। साथ ही सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों के संबंध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी।

6— समिति का मुख्यालय लखनऊ में होगा और विचार—विमर्श के लिये वह समय—समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। समिति ऐसी सूचनाएं मॉग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

7— समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी संस्तुतियॉ शासन को 03 माह में प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

1— यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
2— आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा संबंधित अधिकारियों को भेजी जायें।
3— आदेश दिया कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जायें।
4— आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जायें।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।